न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0———165 / 2016
प्रविष्टि दिनांक ———15.9.2016

1. श्यामलाल माली पुत्र ग्यारसीलाल माली जाति माली निवासी निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक
2. छीतर पुत्र श्यामलाल जाति माली निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक

—वादी

बनाम

1. हीरालाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी निवाई, तहसील निवाई जिला टोंक
2. चौथी पुत्री ग्यारसीलाल पत्नी सीताराम जाति माली निवासी बड की ढाणी कस्बा निवाई जिला टोंक
3. मनोहर पुत्री ग्यारसीलाल पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी निवाई हाल निवासी जदमा की ढाणी चाकसू जिला जयपुर
4. नारायण पुत्र नानगा जाति माली निवासी वार्ड नं. 19 निवासी जिला टोंक
5. तहसीलदार निवाई
6. उप पंजीयक निवाई जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्रीमती सरोज अग्रवाल—अभिभाषक, वादीगण
श्री नरेन्द्र जाट,श्री रामअवतार शर्मा —अभिभाषक प्रतिवादीगण

दावा—उदघोषणा इस्तकरार हक व बंटवारा

निर्णय

दिनांक—06/02/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार खसरा नंबर 3588 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. चाह, खसरा नंबर 3589/2 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा, 3625 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल किता— 3 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई मे वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता ग्यारसा पुत्र भूरा माली व प्रतिवादीगण सं0 4 नारायण के दादा की खातेदारी की भूमि थीं। उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। वादीगण प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता ग्यारसीलाल की भूमि खसरा नंबर 3589/2 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा मे जिंद बाबा का स्थान बना हआ है तथा स्व0 ग्यारसीलाल जिंद बाबा की सेवा पूजा करते थे, जिंद बाबा के स्थान के पास 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि से होने वाली आय से जिंद बाबा के कार्य मे खर्च करते है और उन्होने अपनी वसीयत दिनांक 24.2.2005 को रजिस्टर्ड करवाई थी कि खसरा नंबर 3589/2 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि मे से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिंद बाबा के नाम राजस्व रिकार्ड मे करवाई जावे। वादीगण के पिता ग्यारसीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है लेकिन उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है और जिंद बाबा का अंकन राजस्व रिकार्ड मे नही हुआ है। अतः खसरा नंबर 3589/2 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा मे 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिन्द बाबा के नाम अंकित की जावे तथा उस स्थान को नक्शा ट्रेस मे दर्शाया जावे। खसरा नंबर 3588 गै.मु. चाहर व खसरा नंबर 3589/2 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा , खसरा नंबर 3625 रकबा 3 बीघा 6 बिस्व कुल किता रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा मे से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिन्द बाबा की भूमि के अलावा 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का बराबर बराबर विभाजन कर राजस्व रिकार्ड मे अलग अलग खाता कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रेस मे जिन्द बाबा की भूमि का अंकन किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रकरण मे वाद पत्र के साथ नक्शा ट्रेस, वसीयत पत्र, जमाबंदी संवत 2066–2069 आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादीगण 1 ता 4 की ओर से जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकितानुसार उक्त भूमि ग्यारसीलाल पुत्र भूरा माली की खातेदारी की भूमि है जो वर्तमान मे वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वाद पत्र मे अंकित तथ्य स्वीकार नही है। अतः काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर, सम्पूर्ण 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि मे से जिन्द बाबा के स्थान की 10 बिस्वा भूमि को छोडकर जो भूमि लगभग 12 बीघा 7 बिस्वा शेष बचती है, का मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाये। उक्त बंटवारा हो जाने के पश्चात मिन प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हिस्से मे आने वाली भूमि को मिन प्रतिवादी सं0 1 व 4 के हक मे बराबर के अनुपात मे बंटवारा किया जाकर इस बावत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे ताकि वादीगण मिन प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग करने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। उक्त भूमि पर स्थित कुए का उपयोग करने से मिन प्रतिवादीगण को नही रोके।

इसके पश्चात प्रकरण मे पक्षकारो ने राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमे अंकन किया कि स्व0 ग्यारसीलाल की वसीयत के अनुसार आराजी खसरा नंबर 3589/2 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नंबर 3625 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 3588 रकबा 2 बिस्वा गै. मु. चाह, कुल किता– 3 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई मे से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिन्द बाबा के नाम लगा दी जावे, उक्त जिन्द बाबा की सेवा पूजा तीनो भाई अपने अपने ओसरे अनुसार करते रहेगें तथा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि मे से शेष 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि का बंटवारा ग्यारसीलाल के वारिसान के मध्य अपने अपने हिस्से एवं मौके पर कब्जे के अनुसार कर दिया जावे। जिन्द बाबा की भूमि सार्वजनिक रहेगी उसमे कोई भी पक्ष कृषि कार्य नही करेंगे। मु0 चोथी एवं मनोहर पुत्री स्व0 ग्यारसीलाल , अपने पिता ग्यारसीलाल की सम्पत्ति मे हिस्सा लेना नही चाहती है इसलिए वे अपने हिस्से का हकत्याग वादी श्यामलाल व प्रतिवादी हीरालाल नारायण के हक मे त्याग कर देगी। 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिन्द बाबा के नाम लगा दी जावे तथा शेष भूमि वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे एवं मौके अनुसार बंटवार कर दिया जावे।

राजीनामे के साथ प्रतिवादी सं0 2 व 3 चौथी मनोहर उर्फ गुलाब पुत्रिया ग्यारसीलाल माली द्वारा वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 व सगे भतीजे नारायण पुत्र नानंगराम प्रतिवादी सं0 4 के हक मे ब हिस्सा बराबर बराबर का हकत्याग पत्र प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया गया।

उक्त प्रकरण मे प्रस्तुत काउन्टर क्लेम, राजीनामे आदि पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील पक्षकारान द्वारा अवगत कराया कि बंटवारा वादी श्यामलाल, प्रतिवादी हीरालाल व नारायण पुत्र नानगा के मध्य होना है। उभय पक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि वाद पत्र मे वर्णित खसरा नंबर 3588, 3589/2, 3625 कुल किता–3 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई मे से 1 बीघा 5 बिस्वा जिन्द बाबा के नाम लगा दी जावे तथा शेष जमीन मे वादी व प्रतिवादी हीरालाल व नारायण के मध्य 1/3, 1/3, 1/3 कब्जे के अनुसार तकासमा कर दिया जावे।

हमने वाद पत्र एवं साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी का वाद प्राथमिक डिकी किया गया तथा तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया गया कि वाद पत्र मे वर्णित भूमि खसरा नंबर 3588, 3589/2, 3625 कुल किता–3 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई मे से 1 बीघा 5 बिस्वा जिन्द बाबा के नाम करते हुए शेष भूमि मे वादी श्यामलाल व प्रतिवादी हीरालाल व नारायण के मध्य 1/3, 1/3, 1/3 कब्जे के अनुसार तकासमा रिपोर्ट तैयार भिजवावें।

प्रकरण के प्राथमिक डिकी की पालना मे तहसीलदार निवाई द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसका अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर हाल खसरा नंबर 3588 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. चाह, खसरा नंबर 3589/2 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा, 3625 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल किता– 3 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 4 के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

ग्राम–कस्बा निवाई, पटवार मण्डल–कस्बा निवाई,तहसील निवाई, जिला टोंक

जमाबंदी संवत 2066–2069,		खाता सं0–331, (रकबा बीघा बिस्वा मे)	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1	नारायण पुत्र नानगराम माली सा0 देह	3589/1	0.10
		3589/4	1.00
		3589/7	0.17
		3625/2	1.07
	योग	किता–4	3.14
2	हीरालाल पुत्र ग्यारसीलाल माली सा0देह	3589/2	0.10
		3589/5	1.00
		3589/8	0.17
		3625/1	1.07
	योग	किता–4	3.14
3	श्यामलाल पुत्र ग्यारसीलाल माली सा0देह	3589/3	0.10
		3589/6	1.00
		3589/3	0.17
	योग	किता–3	3.14
4	सामलाती सा0 देह	3589/11	1.05
	योग	किता–3	3.14
5	नारायण पुत्र नानगराम हि0 1/3 हीरालाल पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/3 श्यामलाल पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/3 माली सा0देह	3589/9	0.10
		3589/10	1.00
		3588	0.02
	योग	किता–3	1.00

तहसीलदार निवाई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार निवाई को तहरीर जारी हो।

आज दिनांक 06/02/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई